इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 जून 2021—आषाढ़ 7, शक 1943

गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2021

क्र. एफ-35-32-2013-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे यथा विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्तता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस आदेश के जारी किये जाने की दिनांक से तीन माह की अविध के लिए निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, अर्थात:—

समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में /हेतु---

- समस्त स्वास्थ्य सुविधायें.
- 2. डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी.
- 3. स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता.
- 4. मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन.
- दवॉईयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण.
- 6. एम्बुलेंस सेवाऐं.
- 7. पानी एवं बिजली की आपूर्ति.
- 8. सुरक्षा संबंधी सेवायें.
- 9. खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन.
- 10. बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. श्रीनिवास वर्मा, सचिव.

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

Now THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Guddi Bai Lodha resident of 133/1, Gopalpura Ward No. 37, Guna District Guna (Madhya Pradesh), the contesting candidate of Independent for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from 28-Bamori Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
Sd./(MADHUSUDAN GUPTA)
Secretary,
Election Commission of India.